राजस्थान–सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ,
2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर

क्रमांकः एफ.11(2)( )/नंद घर/मो./आईसीडीएस/2015/ 90117-49 जयपुर, दिनांकः 11-7-16

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषयः– नन्द घर योजना के तहत आंगनबाड़ी केन्द्रों के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करने हेतु दानदाताओं की सहभागिता बढाने के संबंध में।

प्रसंगः– निदेशालय का पत्रांक 57453 दिनांक 05.05.2016 एवं 61051–84 दिनांक 13.05.2016

समेकित बाल विकास सेवाओं द्वारा नन्द घर योजना के अन्तर्गत आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति, आंगनबाड़ी केन्द्रों के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा केन्द्रों पर आधारभूत भौतिक संसाधन विकसित करने हेतु विशेषकर दानदाता, स्वयंसेवी संस्था, कॉर्पोरेट सी.एस.आर के द्वारा केन्द्रों के संचालन के संबंध में सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने हेतु पूर्व में भी आपको समय समय पर निर्देशित किया जाता रहा है। लेकिन आशानुरूप प्रगति नहीं हो पायी है। अतः आंगनबाड़ी केन्द्रों के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करने हेतु दानदाताओं की सहभागिता बढाने हेतु आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि अपने क्षेत्र के समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों से समन्वय कर अधिक से अधिक एम.ओ.यू. कराने के प्रयास कराते हुये प्रगति रिपोर्ट विभागीय ई–मेल jdm.wcd@rajasthan.gov.in पर भिजवावें।

साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि नन्दघर योजनान्तर्गत ~~हुये~~ हुए भवन मरम्मत, अपग्रेडेशन कार्य से पूर्व एवं पश्चात के कार्यों की फोटो उक्त ई–मेल पर भिजवाना सुनिश्चित करावें।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :– 90152-453 दि० 11-7-16

1 समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, राजस्थान को प्रतिलिपि भेजकर निर्देशित किया जाता है कि नन्दघर योजनान्तर्गत अधिकाधिक एम.ओ.यू. करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
2 एसीपी (मुख्यालय) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

Sd
संयुक्त निदेशक (मो.)
समेकित बाल विकास सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर

C:\Users\ICDS\Desktop\Letter 2015.docx